

14229

LLB Examination, May-2018

LAW

Interpretation of Statutes

(K-6001)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

Note : Attempt all sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Section-A

(खण्ड-अ)

Very Short Answer Questions

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt all questions.

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दें।

1. What are the different parts of a Statute ? 4
संविधि के विभिन्न अंग क्या-क्या हैं ?
2. What are the Strict Construction and Penal Construction of statutes. 4
संविधियों के कठोर एवं दण्डिक विनिर्माण क्या हैं ?
3. Explain the distinction between proviso and Exception. 4
परन्तुक एवं अपवाद के बीच अन्तर स्पष्ट करें।

14229

[P.T.O.

(2)

4. To what extent precedent can be used as an aid to the interpretation of statutes. 4
संविधियों की व्याख्या में पूर्वोक्त को किस सीमा तक सहायता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ?
5. What is Beneficial and Restrictive Construction ? 4
लाभकारी एवं निरोधात्मक विनिर्माण क्या हैं ?

Section-B

(खण्ड-ब)

Short Answer Questions

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any two questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks.

10×2=20

- नोट : निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।
6. Evaluate the role of Illustration and Explanation in interpretation of Statutes. 10
संविधियों की व्याख्या करने में स्पष्टीकरण एवं दृष्टान्तों की भूमिका का मूल्यांकन करें।
7. Explain the rule of Ejusdem Generis. 10
इजेसडम जेनरिस नियम की व्याख्या कीजिए।

14229

(3)

9. Explain the meaning of Constitution. 10
संविधान के अर्थ की व्याख्या कीजिए।

Section-C

(खण्ड-स)

Detailed Answer Questions

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any *three* questions. Each question carries 20 marks.

नोट : किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

9. Is there any difference in approach between the construction of deeds and statutes? State the general principles of construction of wills. 20
अभिलेख पत्रों एवं संविधियों के निर्माण की अवधारणा में क्या कोई अन्तर है? वसीयतों के निर्माण के सामान्य सिद्धान्तों का वर्णन करें।
10. Explain the scope and nature of legislative delegation. Is there any limit to delegated legislation. विधायी प्रत्यायोजन की प्रकृति एवं विस्तार की व्याख्या करें। प्रत्यायोजित विधायन की क्या कोई सीमा है?

(4)

11. What are the presumptions in favour of constitutionality of a statute? What are the effects of constitutionality? 20
संविधियों की संवैधानिकता के बारे में क्या अवधारणाएं हैं? संवैधानिकता के क्या प्रभाव होते हैं?
12. Can a statute operate retrospectively, state the general principles and discuss the circumstances under which retrospective operation of statutes is permissible. 20
क्या कोई अधिनियम पूर्णगामी हो सकता है, सामान्य नियमों का वर्णन करें, एवं उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें पूर्वगामी अधिनियमों का प्रचलन स्वीकार्य है।
13. What is meant by mischief rule? Explain with the help of recent Indian Cases? 20
रिष्टी का नियम से क्या समझते हैं? अध्यतन भारतीय वादों के साथ व्याख्या कीजिए।
14. Discuss with reference to decided cases, indicating how far the statement of objects and Reasons can be taken into consideration in interpreting a statute. 20
निर्णित वादों के आधार पर विवेचना कीजिए की अधिनियम के अर्न्तवचन में, अभिकथनों के उद्देश्य एवं कारणों को किस सीमा तक ध्यान में रखा जायेगा।